(५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4184—दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—09—2012 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 156/अ—12/2010—11.

.....

उमाशंकर तनय साधूराम
निवासी ग्राम घूरेहटा तहसील
मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—रामगोपाल तनय भोला प्रसाद
निवासी ग्राम घूरेहटा तहसील
मऊगंज जिला रीवा म0प्र0
2—म0 प्र0 शासन

—— अनावेदकगण

.....

श्री ओ0 पी0 मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशिष श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 01-06-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—09—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–1 द्वारा ग्राम घुरेहेटा की भूमि कमांक 950/1.00 एकड़ का सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.01.11 को आदेश पारित करते हुये आवेदक की आपत्ति निरस्त कर आदेश पारित किया। इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की। अनावेदक द्वारा प्रचलनशीलता पर आपत्ति की, कि अपर कलेक्टर जिला रीवा को निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं है, अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा दिनांक 26.9.12 को आदेश पारित कर कहा गया कि निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया। इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में उन्हीं बिन्दुओं को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह था कि अधीनस्थ न्यायालय में जो निगरानी प्रस्तुत की गई थी उसमें उल्लेखित तथ्यों की ओर जो सारवान थे और प्रश्करण के निराकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु उठाये गये थे का निराकरण प्रकरण समाप्त हो जाने के कारण नहीं हो पाया हे प्रकरण में आपत्ति का निराकरण तहसील द्वारा विधि विरूद्व ढंग से किया गया था बन्दोवस्ती सीमा चिन्ह कायम किये बिना सीमांकन किया गया था जिसके बारे में सुनवाई नहीं हो सकी साथ ही पुनः सीमांकन अन्य बिन्दुओं के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी मेमों में जो बिन्दुओं के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाये थे उनका निराकरण नहीं किया गया। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया हे कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। अनावेदक कमांक–1 रामगोपाल द्वारा सीमांकन कराने का आवेदन प्रस्तुत किया गया राजस्व निरीक्षक/पटवारी द्वारा न्यायालय तहसीलदार के आदेश पर सीमांकन कर प्रतिवेदन मय फील्ड बुक पंचनामा सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया। सीमांकन पर

आवेदक द्वारा आपत्ति की गई बन्दोवस्ती चिन्ह का आधार लिये सीमांकन किया गया है और आपत्तिकर्ता की पूर्व सीमांकन भूमि आवेदक के भूमि में शामिल कर दिया है।

5– प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा यह भी आपत्ति की, कि उसकी भूमि अनावेदक कमांक–1 के सर्वे नम्बर में शामिल कर दी है तो वह अपना सीमांकन पुनः कराने हेतु स्वतंत्र था। उसे अपना सीमांकन कराना चाहिये। अतः तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा के आदेश दिनांक 19.1.11 के सीमांकन में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा का प्रकरण कमांक 20/अ712/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 19.1.11 एवं अपर कलेक्टर जिला रीवा का आदेश दिनांक 26.9.12 उचित होने से स्थिर रखे जाते है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर